

13.07.2023 वाद पुकारा गया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्री जितेन्द्र सिंह रावत (फौजदारी) राज्य की ओर से उपस्थित आये। अभियुक्तगण की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सिंह रावत उपस्थित आये। अभियुक्तगण सुशीला देवी एवं विशन सिंह जमानत पर उपस्थित आये। अभियुक्तगण द्वारा धारा 437ए के अनुपालन में जमानत प्रपत्र दाखिल किये गये। पत्रावली में रखे जाये। 88ख प्रार्थना पत्र के द्वारा अभियुक्तगण की ओर से बहस हेतु समय की मांग की गयी। अनापत्ति दर्ज की गयी। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया।

पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 18.07.2023 को पेश हो।

रीना नेगी
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल